5/5/26 पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्ष एवं वकील वादी को संशोधित शीर्षक पेश करने की हिदायत दी गई, पत्रावली दिनांक 19/5/26 को पेश हो।

19/5/26 पत्रावली पेश हुई, वकील वादी अनुपस्थित, वादी स्वयं अनुपस्थित, बार-बार आवाज लगवाई गई, कोई असालतन/वकालतन न्यायालय हाजिर नहीं आने के कारण पत्रावली अदम पैरवी/अदम हाजिरी में खारिज की जाती है।

(सत्यनारायण RJS)